>

Title: Need to pass the Maharashtra Municipal Council and Maharashtra Regional Town Planning Amendment Bill, 2010.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति जी, मैं सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको तो पता है कि जनप्रतिनिधियों में से कोई भी अगर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करता है और उसके खिलाफ कोई भी आदमी कोर्ट में जाता है तो वह डिस्क्वालीफाई होता है। वह चाहे पार्षद हो, एम.एल.ए. हो या एम.पी. हो, कोई भी हो। लेकिन जिसके वक्त में यह किया जाता है, चाहे कोई भी आफिसर हो तो उसको कभी निकाला नहीं जाता है। अभी महाराष्ट्र में यह प्रोब्लम हुई थी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, जिसके माध्यम से जिस आफिसर के वक्त में अगर कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो उस आफिसर को भी वहां से डिस्क्वालीफाई किया जाये, उसको भी वहां से निकाला जाये और उसकी सर्विस वहां से कट की जाये। यह प्रावधान हमारे महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एमेंडमेंट बिल, 2010-एल.सी. बिल नं. 7/2010 में किया गया और उसके बाद उसे स्टेट लैजिस्लेटिव के दोनों हाउसों द्वारा पारित किया गया। उसके बाद आर्टीकल 254(2) के तहत हमारे देश में ऐसा प्रावधान है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की उस पर मोहर लगनी जरूरी होती है, इसलिए यह बिल होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से हाउसिंग एण्ट पावर्टी एलीविएशन की कमेटी के लिए यहां भेजा गया है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह जल्दी से जल्दी पास किया जाये। महाराष्ट्र शासन में चूंकि सरकार में बहुत दिक्कत है, वहां इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, इसलिए मैं आपसे यहां यह विनती करता हूं।